

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
अधिसूचना

संख्या-3/स्था0 शक्ति-03/2017-

(3)/रा0,

पटना-15,दिनांक- / /2017

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं0-4220, दिनांक-08.04.2017 द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन हेतु बिहार प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित पदाधिकारियों की सेवा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सौंपी गई जिनको निम्न सारणी के स्तम्भ-4 में अंकित पद एवं स्थान पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है :-

क्र0	पदाधिकारी का नाम, कोटि क्रमांक एवं गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	पदस्थापन का पद एवं स्थान
1	2	3	4
1	श्री सुमन कुमार, 577/11, पटना	अनुमंडल पदाधिकारी, पीरो, भोजपुर (सम्प्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा में)	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, दरभंगा
2	श्री विनोद प्रसाद सिंह, 783/11, वैशाली	अनुमंडल पदाधिकारी, पालीगंज, पटना (सम्प्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा में)	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सारण
3	श्री दिनेश कुमार, 885/11, पटना	अनुमंडल पदाधिकारी, टेकारी, गया (सम्प्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा में)	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया
4	श्री सुनील कुमार-01, 780/11, नालन्दा	अनुमंडल पदाधिकारी, छपरा सदर, सारण (सम्प्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा में)	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, जमुई
5	श्री शाहिद परवेज, 927/11, समस्तीपुर	अनुमंडल पदाधिकारी, मधुबनी सदर (सम्प्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा में)	अपर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पटना (प्रभार ग्रहण की तिथि से)

3 श्री सुमन कुमार को जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, दरभंगा, श्री विनोद प्रसाद सिंह को जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सारण, श्री दिनेश कुमार को जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया, श्री सुनील कुमार-01 को जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, जमुई एवं श्री शाहिद परवेज को अपर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पटना के रूप में भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिक अधिकार अधिनियम, 2013 (The Right to fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013) की धारा-3 (जी) के अन्तर्गत बिहार राज्यपाल के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचित जिला के जिला भू-अर्जन पदाधिकारी/अपर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के रूप में भू-अर्जन कार्यों के सम्पादन हेतु अधिनियम की धारा-11, 13, 15, 16 (6), 17 19 एवं 81 को छोड़कर समाहर्ता की शक्ति प्रदत्त की जाती है।

4. पूर्व की प्रक्रियान्तर्गत भू-अर्जन कार्यों के सम्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित जिला भू-अर्जन पदाधिकारियों को अधिसूचित जिलों में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 यथा संशोधित 1984 की धारा-4, 5 (ए), 6 एवं 35 को छोड़कर समाहर्ता की शक्ति प्रदत्त की जाती है।

5. यह आदेश तत्काल प्रवृत्त समझा जाय।

6. सभी पदस्थापित पदाधिकारी पारगमन काल का उपभोग किये बिना अविलम्ब अधिसूचित पद पर योगदान करेंगे।

7. एतद् सम्बन्धी पूर्व की निर्गत सभी अधिसूचनाएँ इस हद तक संशोधित समझी जाएंगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापक-3/स्था0 शक्ति-03/2017-

(3)/रा0,

पटना-15,दिनांक- / /2017

प्रतिलिपि :-महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया, दरभंगा, पटना मुंगेर एवं सारण /निदेशक, भू-अर्जन निदेशालय, पटना/समाहर्ता, औरंगाबाद/समाहर्ता, प0 चम्पारण/रामाहर्ता, मुजफ्फरपुर/समाहर्ता, सीतामढी/समाहर्ता, दरभंगा, सारण, खगड़िया, जमुई एवं पटना/कोषागार पदाधिकारी, औरंगाबाद/कोषागार पदाधिकारी, प0 चम्पारण/कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा, सारण, खगड़िया, जमुई एवं पटना /सम्बन्धित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-3/स्था0 शक्ति-03/2017- (3)/रा0. पटना-15,दिनांक- / /2017
प्रतिलिपि :-माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के सचिव/मुख्य सचिव, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/विकास आयुक्त,
बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-3/स्था0 शक्ति-03/2017- (3)/रा0. पटना-15,दिनांक- / /2017
प्रतिलिपि :-माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के
आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-3/स्था0 शक्ति-03/2017- (3)/रा0. पटना-15,दिनांक- / /2017
प्रतिलिपि :-प्रशाखा पदाधिकारी, भू-अर्जन प्रशाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-3/स्था0 शक्ति-03/2017- 238- (3)/रा0. पटना-15,दिनांक- 05/5 /2017
प्रतिलिपि :-आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ एवं सभी
संबंधित को ई-मेल द्वारा उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
सरकार के अपर सचिव।